समाहरणालय सहरसा

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक ...266-2.../रा०

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
सहरसा।

सेवा में,

अध्यक्ष,
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद,
बिहार, पटना।

सहरसा, दिनांक ...6.03... 2022 ई०।

विषय :– **बिहार विधान सभा में दिनांक 07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– विधि विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 1255/जे0 दिनांक 05.03.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में बिहार बिधान सभा में दिनांक 07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रकार है–

कंडिका	प्रतिवेदन
1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 4850/2021 (ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO.- 33675 OF 2017) के अनुसार कंडिका 27 में देश के सभी राज्यों के मठ/मंदिरों की परिसम्पत्तियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदार नहीं है। सेवादार का नाम सिर्फ राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में रह सकता है। इस संबंध में आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन।	इस कार्यालय के पत्रांक 1616–2/रा0, दि0 22.12.2021 से सभी निबंधित /अनिबंधित मंदिर/मठ को धार्मिक संस्था के नाम से करने तथा जिला में चल रहे सर्वे कार्य में संपूर्ण भूमि की विवरणी पूर्ण ब्यौरा सहित जिला बंदोबस्त पदाधिकारी, सहरसा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। (छायाप्रति संलग्न)
2. अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अधीन मठ/मंदिर, जो निबंधित/अनिबंधित है, का कुल संख्या प्रमंडलवार/जिलावार खाता, खेसरा, रकवा (एकड़) में उपलब्ध कराया जाय। साथ ही दरभंगा प्रमंडल में 5533 एकड़, मुंगेर प्रमंडल में 3373 एकड़, तिरहुत प्रमंडल में 5800 एकड़ भूमि से संबंधित वांछित सूचना के संबंध में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।	जिले में निबंधित/अनिबंधित मठ/मंदिर की कुल संख्या एवं रकवा निम्नवत है– निबंधित: संख्या 63, क्षेत्रफल (एकड़,डी0) 691.22 अनिबंधित: संख्या 26, क्षेत्रफल (एकड़,डी0) 175.23 कुल क्षेत्र (एकड़,डी0) 866.44 खाता, खेसरा एवं रकवा का पूर्ण विवरणी अंचल कार्यालय के पंजी में संधारित है।
3. अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत चिन्हित/सर्वेक्षित मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईश कराकर पिलरिंग हेतु वांछित राशि से संबंधित आवंटन का मांग प्रतिवेदन।	सहरसा जिलान्तर्गत अंचल अधिकारियों द्वारा धार्मिक न्यास के अंतर्गत चिन्हित/सर्वेक्षित मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईश निम्न प्रकार की गई है– सौरबाजार–7, सलखुआ–1, सत्तरकटैया–1, महिषी–2, बनमा इटहरी–2, नवहट्टा–1, पतरघट–1, सिमरी बख्तियारपुर–2, सोनवर्षा–1 एवं कहरा–8 सभी सर्वेक्षित/चिन्हित मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईश करने की कार्रवाई की जा रही है। पैमाईश पूर्ण होने के उपरांत पिलरिंग हेतु आवंटन की मांग की जायेगी।
4. अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत मठ/मंदिर की वैसी जमीन जिसपर अवैध कब्जा है, उसकी पूरी सूची एवं उसे मुक्त कराने एवं बिक्री पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई की गयी, इससे संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन।	इस जिलान्तर्गत सूर्य मंदिर, कन्दाहा की 03 डिसमिल पर अंचलाधिकारी, महिषी द्वारा अवैध कब्जा प्रतिवेदित किया गया है, इसे मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की गयी है।

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला राजस्व शाखा, सहरसा।

6.3.22
अपर समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 266-2 /रा0, सहरसा, दिनांक 6.3.2022

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव –सह–अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1255/जे0 दिनांक 05.03.2022 के आलोक सूचनार्थ प्रेषित।

6.3.22

अपर समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहरणालय, सहरसा

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक 1616 /रा0

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,
सहरसा।

सेवा में,

सभी अंचलाधिकारी,
सहरसा जिला।

सहरसा दिनांक 22/12/2021

बिशय :— सहरसा जिला में स्थित धार्मिक स्थल यथा मठ, मंदिर, धर्मशाला की अचल सम्पत्ति का पूर्ण ब्यौरा बंदोबस्त कार्यालय में समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सहरसा जिला स्थित सभी निबंधित/अनिबंधित धार्मिक स्थल यथा मठ, मंदिर, धर्मशाला की अचल सम्पति को धार्मिक संस्था के नाम से ही किया जाना है।

अतः निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के पश्चात अपने–अपने अधीनस्थ सभी निबंधित/अनिबंधित धार्मिक स्थलों की विवरणी साक्ष्य सहित जिला बंदोबस्त कार्यालय में समर्पित करें ताकि ससमय कार्य संपादित किया जा सके।

विश्वासभाजन,
22-12-21

अपर समाहर्त्ता
सहरसा।